UPKU100014922026

<u>न्यायालय –न्यायिक मजिस्ट्रेट, कसया, कुशीनगर।</u>

<u>पीठासीन अधिकारी–(मिताली सोनकर)– उ०प्र० न्यायिक सेवा–UP3722</u>

प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र संख्या–124/2026

रोशनतारा बनाम अजमेरी खातून आदि।

<u>04.05.2026</u>

पत्रावली पेश हुई। आवेदिका मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस० पर सुना गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। आवेदिका द्वारा अपने कथन के समर्थन में शपथ पत्र, दस्तावेजी प्रपत्र, पुलिस अधीक्षक को प्रेषित प्रार्थना पत्र की प्रति, रजिस्ट्री रसीद व अन्य दस्तावेजी साक्ष्य की प्रति दाखिल की गयी है।

आवेदिका द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस० प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र में किये गये कथनों के आधार पर थानाध्यक्ष **कसया** को निर्देशित किया जाये कि वह प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर नियमानुसार विवेचना करें।

प्रार्थना पत्र के प्रकाश में थाने से आख्या आहूत की गयी। थाने की आख्या के अनुसार प्रार्थना पत्र में वर्णित घटना के संबंध में कोई अभियोग थाना स्थानीय पर पंजीकृत नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थना पत्र में उल्लेखित किये गये समस्त तथ्य आवेदिका की जानकारी में है। गवाहों के नाम व पते उसे मालूम है, वह स्वेच्छा से न्यायालय के समक्ष बेहतर साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है। ऐसा कोई तथ्य नहीं है कि जिसकी विवेचना कराये जाने की आवश्यकता हो। माननीय उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **"रामबाबू गुप्ता 2001 (43) ए०सी० सी० 50 (फुल बेन्च)" एवं "सुखवासी बनाम उ०प्र० राज्य 2007 ए०सी०सी० 59"** में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में प्रस्तुत मामले को परिवाद के रूप में दर्ज किये जाने योग्य है।

<u>**आदेश**</u>

आवेदिका द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस० परिवाद के रूप में दर्ज हो। पत्रावली वास्ते बयान अन्तर्गत धारा–223(1) बी०एन०एस०एस० दिनांक **05.06.2026** को पेश हो।

जे०एम०,
कसया, कुशीनगर।

Digitally signed by MITALI SONKAR
Date: 2026.05.04 16:45:24 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court